न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या— 79/2012—13

श्रीमती देवेश्वरी देवी बाम्पाल
—बनाम—
उत्तराखण्ड सरकार आदि

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री के0एस0 नेगी।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री एल0डी0 थपलियाल, विशेष अधिवक्ता राज्य सरकार

बावत
पुराना खसरा नम्बर—762 मि0 रकबा 0.34 एकड़,
खसरा नम्बर 765 रकबा 0.28 एकड़, खसरा नम्बर—766
रकबा 0.36 एकड़ कुल रकबा 0.98 एकड़ नया खसरा नम्बर—927
मौजा पौन्धा, परगना पछवादून तहसील विकासनगर
जिला देहरादून।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकत्री द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा वाद संख्या— 111/98—99(पुराना नम्बर—60/97—98) राज्य सरकार बनाम सर्वोदय रिट्रीट द्वारा संजय घई में पारित निर्णयादेश दिनांक 31—05—2000 के विरूद्व इस न्यायालय में योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रारूप—131 पर एवं तहसीलदार, विकासनगर द्वारा दिनांक 17—04—2000 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर को दी गई रिपोर्ट के आधार पर वाद पंजीकृत हुआ। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि प्रतिपक्षी संस्था द्वारा विभिन्न खातेदारों की भूमि बिना विक्रय पत्र सम्पादित किए क्रय की गई है। खातेदारों द्वारा बिना विक्रय पत्र सम्पादित किए भूमि हस्तान्तरित की गई हैं। खातेदारों द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—155 व 164 का उल्लघंन किया गया है। इस प्रकार बिना विक्रय पत्र सम्पादित किए भूमि का हस्तान्तरण करने से भूमि धारा—166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनयम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किए जाने योग्य है। लेखपाल एवं तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने प्रतिपक्षी संस्था सर्वोदय रिट्रीट को नोटिस प्रेषित किया और नोटिस के प्रतिउत्तर में प्रतिपक्षी की ओर से आपत्ति/जबावदावा न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनका विभिन्न भूधारकों की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। सहायक कलेक्टर द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 31—05—2000 से विभिन्न खातेदारों की भूमि इस विवेचना सहित कि खातेदारों द्वारा बिना विक्रय पत्र सम्पादित किए भूमि विक्रय की गई है, जिससे जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा—155 व 164 का

उल्लंघन किया हुआ है और भूमि धारा–166/167 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस निर्णयादेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकत्री ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

अधिवक्ता निगरानकत्री का कथन है कि निगरानीकत्री ने प्रश्नगत भूमि दिनांक 10–11–89 को विकय पत्र के माध्यम से कय की थी और प्रश्नगत भूमि पर निगरानीकत्री का कब्जा काश्त है और कागजात माल में उसका नाम अंकित है। निगरानीकत्री ने आज तक उक्त भूमि का किसी को भी कब्जा तथा बैनामा एवं विकय पत्र अनुबन्ध एवं बन्धक तथा मुख्तारनामा नहीं किया है और ना ही किसी प्रकार का कोई हस्तान्तरण किया गया है। निगरानीकत्री ने जब उक्त खसरा नम्बरों की खतौनी दिनांक 10–01–2008 को ली तो उसे प्रथम बार उक्त आदेश का ज्ञान हुआ कि उसकी भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हो गई है। अधिवक्ता निगरानीकत्री द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उसे उक्त आदेश पारित होने से पूर्व कोई नोटिस आदि प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त होने योग है।

प्रतिपक्षी राज्य सरकार की ओर विशेष अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि निगरानीकत्री द्वारा बिना विकय पत्र सम्पादित किए ही प्रश्नगत भूमि का हस्तान्तरण किया गया है जिसके आधार पर उसकी भूमि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हुई है। निगरानीकत्री को उक्त आदेश का पूर्व से ही ज्ञान था। अवर न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। निगरानी बलहीन है और निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अध्ययन किया गया। अभिलेखों के प्रथमदृष्टया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद की कार्यवाही क्षेत्रीय लेखपाल एवं तहसीलदार की इस आशय की रिपोर्ट कि खातेदारों द्वारा बिना विकय पत्र सम्पादित किए ही भूमि का विकय किया है के आधार पर प्रारम्भ हुई। इस कार्यवाही में प्रतिपक्षी संस्था को नोटिस निर्गत भी हुआ और उनके द्वारा नोटिस का प्रतिउत्तर भी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि इस वाद में निगरानीकत्री/खातेदार को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रेषित नहीं किया गया और पत्रावली पर इस प्रकार का कोई अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उन्हें उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित किए जाने से पूर्व कोई सूचना अथवा नोटिस निर्गत हुआ हो। पत्रावली पर जो नोटिस निर्गत हुआ है वह नोटिस सर्वोदय रिट्रीट को दिनांक 12–12–97 को प्रेषित किया गया है। प्रतिपक्षी सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता को प्रश्नगत भूमि के विकय पत्र सम्पादित होने की पृच्छा में उनके द्वारा कोई विकय पत्र सम्पादित न होने का तर्क दिया गया है पत्रावली पर

ऐसा कोई अभिलेख अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि विवादित भूमि विकय की गई है । मात्र लेखपाल एवं तहसीलदार की आख्या कि भू स्वामी द्वारा भूमि सर्वोदय स्ट्रीट संस्था को विकय किया गया है , जिसके समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, के आधार पर भूमि को राज्य सरकार में निहित करना विधिक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा भू–स्वामी को सुने विना ही भूमि राज्य सरकार में निहित की गई है जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिक दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है, निगरानीकर्ती की वादग्रस्त भूमि खसरा न0 762 मि0 रकवा 0.34 एकड खसरा न0 765 रकवा 0.28 एकड खसरा न0 766 रकवा 0.36 एकड कुल रकवा 0.98 एकड भूमि जिसका नया खसरा न0 927 है को राज्य सरकार के नाम से खरिज कर निगरानीकर्ती श्रीमती देवेश्वरी देवी बम्पाल के नाम पूर्व की भांती दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार अमल दरामद किया जाय। यह आदेश निगरानीकर्ती के वादग्रस्त खसरा नम्बरों पर ही लागू होगा।

दिनांकः \7 अप्रैल, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।